कार्यालय झाँसी नगर निगम, झाँसी।

होर्डिंग्स/कियॉस्क/बैनर/पोस्टर/वाल पेन्टिग आदि के लिये ऑफर/ आवेदन पत्र की सूचना

वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये होर्डिंग्स, कियास्क, बैंनर, पोस्टर, वाल पेन्टिग आदि के लिये अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

1. होर्डिंग्स हेतु निर्धारित 343 स्थलो में से 86 स्थलों की स्वीकृति नगर आयुक्त, महोदय द्वारा प्रदान की जा चुकी हैं शेष 257 स्थलों मात्र के लिए ऑफर/आवेदन मय नजरी नक्शा के प्रस्तुत करना होगा, स्वीकृत 86 स्थलो की एवं आवशेष 257 स्थलों की सूची/नजरी नक्शा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती हैं।
2. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण विवरण, विज्ञापन या विज्ञापन पट की अवस्थिति, आकार, प्रकार, विशिष्टियों, स्थल मानचित्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र नगर निगम कार्यालय से दिनांक 24-06-2013 को रू0 1,000/– जमा कर पूर्वान्ह 10:00 से 5:00 बजे के बीच प्राप्त किया जा सकते है। आवेदन पत्र पर अपना ऑफर दिनांक 26-06-2013 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक कर निर्धारण अधिकारी के कक्ष में रखे बाक्स में डाल सकते है। उसी दिन अपरान्ह 4:00 बजे खोले जायेगें।
3. विज्ञापन या विज्ञापन पट के लिये स्थल चिन्हित किये गये है। चिन्हित स्थलो के लिये ही ऑफर दिये जायेगे। स्थल की सूची आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
4. प्रतिबन्धित क्षेत्र स्थलो के लिये आवेदन मान्य नही होगा।
5. किसी भी स्थल पर किस आकार प्रकार का, किस ऊँचाई का किन विशिष्टियों का विज्ञापन या विज्ञापन पट लगाया जायेगा इसका भी विवरण आवेदन को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा आकार 10x20 से अधिक का मान्य नही होगा।
6. विज्ञापन पटो होर्डिंग्स, कियास्क, बैंनर, पोस्टर इत्यादि को वृक्षो, बल्लियों, बाँस या लकड़ी पर कदापि नही लगाया जायेगा।
7. कोई भी विज्ञापन किसी भी दशा में जनहित और निकाय हित के प्रतिकूल नही होना चाहिए। किसी भी प्रकार से अशिष्ट, अश्लील, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक अथवा आपत्तिजनक प्रकृति के विज्ञापन प्रदर्शित नही किये जा सकेगें।
8. अन्य शर्ते आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। सभी विज्ञापन एजेन्सियों अपने–अपने आवेदन निर्धारित/चिन्हित स्थलों के लिये उपरोक्तानुसार निर्धारित किये गये समय के भीतर प्रेषित करेगें। उक्त समयावधि के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नही किया जावेगा और न ही भविष्य में प्रचार के लिये अनुमति प्रदान की जावेगी।

अपर नगर आयुक्त
झाँसी नगर निगम, झाँसी।

(क्रमशः पृष्ठ दो)

पत्रांक : 85 / अ0न0आ0 / न0नि0 / 2013–14 दिनांक 21-06-2013

प्रतिलिपि :–

1. सम्पादक दैनिक अमर उजाला/राष्ट्रीय सहारा झाँसी को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञापन अपने सम्मानीय समाचार पत्र में आगामी अंक में 12 के फॉन्ट में प्रकाशित करने एवं उक्त विज्ञापन की दो प्रतियाँ भुगतान हेतु बिल सहित भेजने का कष्ट करें।
2. प्रभारी अधिकारी, नजारत, कलैक्ट्रेट झाँसी को कलैक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन करने हेतु।
3. मुख्य विकास अधिकारी को इस अनुरोध सहित प्रेषित की कृपया सूचना पट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
4. कार्यालय जिला पंचायत, झाँसी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. तहसीलदार, सदर को तहसील की सूचना पट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद, झाँसी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
7. वैयक्तिक सहायक (नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी) को सूचनार्थ प्रेषित।
8. नाजिर / प्रशासन अधिकारी, नगर निगम, झाँसी को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना नगर निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।

अपर नगर आयुक्त
झाँसी नगर निगम, झाँसी।